भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 483
मंगलवार, 03 फरवरी, 2026/14 माघ,1947 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी संस्थानों का आधुनिकीकरण

+483. डॉ. निशिकान्त दुबेः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में सहकारी संस्थानों के कार्यकरण के आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने सहकारी संस्थानों के आधुनिकीकरण के बारे में कोई आपत्ति दर्ज की है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए; जमीनी स्तर तक अपनी पहुंच को सघन करने; सहकारी संस्थानों के कार्यों का आधुनिकीकरण करते हुए, सहकारिता मंत्रालय (एमओसी) अपने संस्थानों के पास उपलब्ध अवसंरचना की लगातार समीक्षा कर रहा है और प्रशिक्षण, प्रशासन और डिजिटल आउटरीच का समर्थन करने के लिए अपने कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी (सीआईटी) अवसंरचना को सशक्त करने की आवश्यकता के अनुसार उनका आधुनिकीकरण कर रहा है।

कक्षाओं और प्रेक्षागृहों को स्मार्ट बनाने के अलावा, सरकार ने शैक्षणिक और आवासीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने संस्थानों की भवन अवसंरचना को उन्नत करने के लिए भी कदम उठाए हैं ।

i. 50 ट्विन-शेयरिंग रूम और 3 वीआईपी सुइट्स के साथ VAMNICOM में मौजूदा अवसंरचना में एक नया 3-मंजिला अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास जोड़ा गया है। छात्रावास में एक रसोईघर, एक डाइनिंग हॉल, एक वाचनालय, 50 क्षमता की एक कक्षा, एक चर्चा कक्ष, एक व्यायामशाला और एक कार्यालय स्थान भी है। इस भवन का निर्माण सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त 30 करोड़ रुपये के पूंजीगत अनुदान से किया गया है ।

ii. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत, डी.एन.एस क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (आरआईसीएम), पटना को सशुल्क कार्यक्रमों के लिए नामांकन हेतु छात्रों और प्रतिभागियों को आकर्षित करने के लिए एक नई छात्रावास सुविधा के निर्माण के लिए 27.29 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया था ।

iii. सहकारी प्रबंध संस्थान (आईसीएम), गुवाहाटी और आईसीएम, मदुरै दोनों को एक नए स्थल पर स्थानांतरित किया जा रहा है और उनके भवनों का निर्माण आधुनिकीकरण आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा। निर्माण के बाद, दोनों संस्थानों के पास अपने भविष्य के लिए स्मार्ट भवन होंगे ।

इसके अतिरिक्त, देश में सहकारी संस्थाओं के कार्यों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों और पहलों के साथ-साथ अन्य संबंधित पहलों का ब्योरा संलग्नक -I में दिया गया है ।

****

संलग्नक -I

1. प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के लिए आदर्श उप-विधियाँ तैयार करना, उन्हें बहुउद्देशीय, बहुआयामी और पारदर्शी संस्थाएं बनाना :
2. पैक्स का कंप्यूटरीकरण :
3. सभी पंचायतों को कवर करने के लिए नई बहुउद्देशीय पीएसीएस/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना और संबंधित मार्गदर्शिका/एसओपी का शुभारंभ:
4. सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना और संबंधित मार्गदर्शिका/एसओपी का शुभारंभ:
5. ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए कॉमन सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में पैक्स:
6. पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन:
7. पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानों के लिए पैक्स को प्राथमिकता दी गई:
8. पैक्स को थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने की अनुमति दी गई:
9. पैक्स अपनी कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र हैं;
10. ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता में सुधार के लिए पैक्स को पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में नियुक्त किया गया;
11. पैक्स प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) के रूप में;
12. पैक्स ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं (पीडब्ल्यूएस) का संचालन और रखरखाव करेंगे;
13. पैक्स स्तर पर पीएम-कुसुम का अभिसरण;
14. सहकारी समिति स्तर पर पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी-एमबीवाई) का अभिसरण;
15. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यूसीबी के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में अनुमोदित एनएएफसीयूबी का अनुमोदन जो 1,500 बैंकों को आईटी अवसंरचना और डिजी लोन और डिजी पे जैसी सेवाओं के साथ समर्थन करता है;
16. बैंक मित्र सहकारी समितियों को घर-घर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए माइक्रो-एटीएम;
17. दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड;
18. मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) का गठन;
19. देश भर में डेयरी सहकारी समितियों, रोजगार और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए सहकारी के नेतृत्व वाली "श्वेत क्रांति 2.0" शुरू की गई;
20. शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें अपने ग्राहकों को डोरस्टेप सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है;

21. शहरी सहकारी बैंकों के साथ नियमित संवाद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में नामित एक नोडल अधिकारी;

22. पीएसएल लक्ष्य को 75% से घटाकर 60% करके शहरी सहकारी समितियों (यूसीबी) के लिए राहत;

23. शहरी सहकारी बैंकों के लिए आवास ऋण की सीमा 10% से बढ़ाकर 25% की गई;

24. महिला ऋण अदायगी के लिए ₹ 2 लाख के लक्ष्य को वापस लेकर 12% उप-सीमा (कमजोर वर्गों) की उप-सीमा में राहत;

25. शहरी सहकारी संस्थानों को 50 प्रतिशत ऋण सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये करके से राहत दी गई है;

26. भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण ऋण के लिए मौद्रिक सीमा को हटा दिया है;

27. सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का एकमुश्त निपटान करने की अनुमति दी गई है;

28. सहकारी बैंकों के लिए 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (एईपीएस) के लिए लाइसेंस शुल्क में कमी;

29. आरबीआई द्वारा अनुमोदित सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड, 13 नई तकनीकी सेवाओं के साथ ग्रामीण सहकारी बैंकों को सशक्त करने के लिए स्थापित किया गया है;

30. राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के अनुसार ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को सशक्त करने के लिए नाबार्ड के तहत टास्क फोर्स का गठन किया गया;

31. सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लंबित मुद्दों का समाधान;

32. केले के लिए टिशू कल्चर सुविधाएं स्थापित करने की पहल;

33. सीएससी पोर्टल हेतु पैक्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम;

34. केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का कंप्यूटरीकरण;

35. कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) का कंप्यूटरीकरण;

36. "भारत टैक्सी": ड्राइवरों को सशक्त बनाने और किफायती, विश्वसनीय परिवहन प्रदान करने के लिए सहकारी के नेतृत्व वाली मोबिलिटी पहल, फरवरी 2026 से शुरू हो रही है;

37. GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल पर सहकारी समितियों को 'खरीदारों' के रूप में शामिल करना

****